23-10-14 हिन्दुस्तान

मनरेगा योजना की गड़बड़ी को रोकेंगे लोकपाल

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी महंगी पड़ेगी। इनमें हेराफेरी रोकने के लिए लोकपाल तैनात किए गए हैं। उनकी अनुशंसा पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। उनकी रिपोर्ट सीधे मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के पास भेजी जाएगी।

राज्य सरकार ने 26 जिलों में मनरेगा कार्यों की देखरेख व शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की है। ये मनरेगा कार्यों से संबंधित सारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। फिलहाल इन्हीं लोकपाल के अधीन अन्य जिले भी प्रभार में हैं। वे शिकायतों की जांच के लिए न सिर्फ कार्यस्थल का मुआयना कर सकेंगे, बल्कि दोषी पक्ष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। वे ग्राम सभा की कार्यवाही, मजदूरों का निबंधन, जॉब कार्ड, मजदूरी का भुगतान, कार्य की मापी-गुणवत्ता, मजदूरों के बैंक खातों से लेकर कोष के उपयोग आदि कुल 22 प्रकार की शिकायतों की जांच व सुनवाई करेंगे। मनरेगा अधिनियम के तहत लोकपाल को काफी प्रभावी बनाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने यह साफ कर दिया है कि लोकपालों की रिपोर्ट की अनदेखी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

कार्रवाई की तैयारी

- शिकायतों की जांच के लिए 26 जिलों में तैनात किए गए लोकपाल
- वित्तीय अनियमितता पकड़े जाने पर करा सकेंगे एफआईआर